न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 104/2020 (2020/00490) — दर्ज दिनांक 12.10.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. छीतरमल आत्मज गोपीलाल जाट
2. माधवलाल आत्मज गोपीलाल जाट
3. रामलाल आत्मज गोपीलाल जाट
   सर्व निवासी विजैपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. मोवनी पत्नि नारायण बैरवा
2. सोहन आत्मज प्यारचंद बैरवा
3. चुन्नीलाल आत्मज प्यारचंद जाट
4. मांगी पत्नि पारस जाट
5. जीतु आत्मज देवा जाट
   सर्व निवासी विजैपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. रामेश्वर आत्मज भेरा सुथार निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री जगदीश चन्द्र चौधरी

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांक:–11.01.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम विजेपुर पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 96/802 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 97 रकबा 0.68 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.78 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 28 पर दर्ज होकर स्थित हैं।भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073से 2076 संलग्न हैं।प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण [illegible] लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किये [illegible] प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने विपक्षी संखया 1 व 6 के विरूद्ध [illegible] प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.18 16:36:25 IST
Reason: SelfAttested

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–104/2020 (2020/00490)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम विजेपुर पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 96/802 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 97 रकबा 0.68 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.78 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 28 पर दर्ज होकर स्थित हैं।भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.18 16:36:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner